कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 37 दिनांक : 22.05.2026

:: संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् कार्यालय आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं **देवांगिनी औदिच्य**, आर.जे. एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पूर्व में जारी रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक 20 दिनांक 17.03.2026 व आदेश क्रमांक 26 दिनांक 01.04.2026 में आंशिक संशोधन करते हुये भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य) के निष्पादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक अधिकारी को अधिकृत करता हूँ :-

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी (श्री/श्रीमति/सुश्री)
01	23.05.2026	रजनी सोनी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्व-भीलवाड़ा मो.न. 83868 29709
02	24.05.2026	हर्षल वर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम, भीलवाड़ा मो.न. 94600 01772
03	28.05.2026	नेहा चौहान, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-04, भीलवाड़ा मो.न. 76007 58287
04	31.05.2026	हर्षित हाड़ा, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-02, भीलवाड़ा मो.न. 94135 70160

निर्देश :-

01. यह कि अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 12:00 पी.एम. से दोपहर 02.00 पी.एम. तक रहेगा।
02. अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
03. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
04. नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।
05. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के बाहर के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले न्यायिक व पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड को संबंधित न्यायालय के न्यायिक अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर उपस्थित होने की स्थिति में उनके द्वारा ही निष्पादित किया जावेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : दिनांक : 22.05.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र।
3. उपरोक्त समस्त न्यायालय
4. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय भीलवाड़ा।
5. अक्ष्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा।
6. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, भीलवाडा।
7. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, भीलवाड़ा।
8. जिला कारागृह, भीलवाड़ा।
9. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, भीलवाड़ा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
भीलवाड़ा (राज.)